5- अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख :-

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (पुरूष) के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक ग्रेड से महानिदेशक, स्तर के अधिकारियों का अधिष्ठान कार्य सम्पादित किया जाता हैं। जिसके नियुक्ति प्रधिकारी शासन हैं।

चिकित्सालय में कार्यरत अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने निर्देशन में अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा चिकित्सालय परिसर की साफ—सफाई एवं आवश्यकतानुसार अन्य समस्त प्रकार के साज—सज्जा की व्यवस्था उनके द्वारा की जाती है।

शासन स्तर से प्राप्त नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेखों के आधार पर निर्णय लिया जाना व उसका अनुपालन सुनिष्चित किया जाना।

अनुभाग से संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा शासकीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार कार्य किया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार भारत सरकार की गाइड लाइन के अन्तर्गत कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है।

राज्य स्तर एवं जनपद तथा पिरक्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत पुरोनिधानित कार्यक्रम के रूप में प्रदेश में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार संचालित है। चिकित्सालयों, एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कुष्ठ रोगियों की जांच एवं उपचार कार्य में तकनीकी सहयोग हेतु नान मेडिकल असिस्टेन्ट तैनात होते हैं और नान मेडिकल असिस्टेन्ट के कार्य के पर्यवेक्षण हेतु तहसील मुख्यालय पर नान मेडिकल सुपरवाइजर तैनात हैं।

- चिकित्सा परिचर्या नियमावली।
- राजकीय चिकित्सालयों / औषधालयों (राजकीय मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों को छोड़कर) में रोगियों
 को बेहतर एवं गुणवत्तापरक चिकित्सकीय सेवायें उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा सेवा शुल्कों में शासनादेश
 संख्या—984 / 5—1—2000—4(80) / 95, दिनांक 28.06.2000 द्वारा संशोधन।
- कार्यालय आदेश संख्या—1फ / 19 / 90 / 11570, दिनांक 23.10.1990 स्वीकृत निदेशकों के मध्य कार्य का
 विभाजन—

चिकित्सालय में कार्यरत मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका / मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने निर्देशन में अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा चिकित्सालय परिसर की साफ-सफाई एवं आवश्यकतानुसार अन्य समस्त प्रकार के साज-सज्जा की व्यवस्था उनके द्वारा की जाती है।

निदेशक (प्रशिक्षण) पद में सूचनाधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये है वह अपने अधिनस्थ सम्बन्धित अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक के माध्यम से सम्बन्धित पटल सहायक से सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराते है। शासन द्वारा धारित नियमों, विनियमों, अनुदेशों और अभिलेखों का रख-रखाव केन्द्रीय औषधि भण्डार द्वारा किया जाता है।

सिविल अभियंत्रण इकाई द्वारा महत्तपूर्ण भवनों अनुरक्षण का कार्य भी शासन द्वारा निर्धारित शासकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था है। भवनों के निर्माण/मरम्मत हेतु कार्यदायी संस्थाओं से एम0ओ0यू0 कराये जाने की व्यवस्था है। सामान्य मरम्मत स्थानीय स्तर पर कराये जाने हेतु सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित कार्यो का आकलन करते हुए स्थानीय स्वीकृत दरों के आधार पर आगणन गठित किये जाते है। कराये जाने वाले कार्यो के आगणनों का तकनीकी परीक्षण मुख्यालय स्तर पर किया जाता है उक्त के अतिरिक्त विभागीय भवनों के अन्य कार्य लोक निर्माण विभाग के दर पुस्तिका के अनुसार कराये जाते है।